



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

# प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2025—2026

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

हैल्प डैस्क-helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in

हैल्प लाईन टोल फ्री नम्बर-1800-180-6268

विभागीय वेब साईट-www.sipf.rajasthan.gov.in

दूरभाष:-0141- 2200786, 0141-2203344 फैक्स

## अनुक्रमणिका

| क्र. सं. | विषय                                     | पृष्ठ संख्या |
|----------|------------------------------------------|--------------|
| 1        | विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य            | 1—2          |
| 2        | राज्य बीमा योजना                         | 3—7          |
| 3        | प्रावधायी निधि योजना                     | 8—16         |
|          | 1. सामान्य प्रावधायी निधि योजना          | 8—11         |
|          | 2. अंशदायी प्रावधायी निधि योजना          | 11—13        |
|          | 3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना    | 14           |
|          | 4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना     | 15           |
|          | 5. कार्मिक कल्याण कोष                    | 15           |
|          | 6. जीपीएफ 2004 एवं जीपीएफ सैब            | 15—16        |
| 4.       | साधारण बीमा निधि योजना                   | 17—22        |
| 5.       | राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना           | 23           |
| 6.       | मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना | 24—25        |
| 7.       | मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना       | 26           |
| 8.       | सिस्टम                                   | 27—30        |
| 9.       | लेखा (बजट)                               | 31—32        |
| 10.      | उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता               | 33—37        |
| 11.      | कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण       | 38—40        |
| 12.      | संगठनात्मक ढांचा                         | 41           |
| 13.      | विशेष उपलब्धियां                         | 42—43        |
| 14.      | सार संक्षेप                              | 44           |

# 1. विभाग की स्थापना एवं उद्देश्य

राजस्थान सरकार के कार्यरत समस्त राज्य कर्मचारियों एवं आमजन को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं यथा राज्य बीमा योजना, प्रावधानी निधि योजना, साधारण बीमा योजना, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना आदि का संचालन किया जा रहा है।

स्वाधीनता के पश्चात् प्रदेश के राज्यकर्मियों के कल्याणार्थ राजस्थान सरकार ने कर्मचारी बीमा नियम 1953 के तहत दिनांक 01.01.1954 से राज्य बीमा योजना को अनिवार्य रूप से राजस्थान सरकार के अध्याधीन समस्त कर्मचारियों पर लागू किया। योजना का बाद में विस्तार करते हुए इसे दिनांक 01.04.1989 से जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों में कार्यरत कर्मचारियों पर तथा दिनांक 01.04.1995 से सभी नियमित कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया। वर्ष 1943 में मात्र 8000 कर्मचारियों से प्रारम्भ उक्त बीमा योजना में वर्ष 2025 में लगभग 7.42 लाख कर्मचारियों पर लागू है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.05.1980 से प्रावधानी निधि योजना को भी अनिवार्य रूप से सभी राज्य कर्मचारियों पर लागू किया गया। पूर्व में यह योजना अनिवार्य राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से तथा अन्य के लिये वैकल्पिक रूप से लागू थी। वर्तमान में प्रावधानी निधि योजना में लगभग 1.95 लाख अंशदाता हैं।

दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड्स, एवं निगम आदि में नियुक्त कार्मिकों के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 से नवीन योजना क्रमशः जीपीएफ-2004 एवं जीपीएफ-सैब लागू की गई है जिसमें अंशदाता स्वैच्छिक रूप से कटौती करवा सकता था, किन्तु दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर ओपीएस लागू करने के फलस्वरूप राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.05.2022 द्वारा अप्रैल 2022 से कार्मिकों के मासिक वेतन से जीपीएफ-2004 अनिवार्य रूप से लागू की गई है। वर्तमान में जीपीएफ-2004 में लगभग 6.07 लाख एवं जीपीएफ-सैब योजनान्तर्गत लगभग 0.86 लाख अंशदाता हैं।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.1991 से साधारण बीमा निधि की स्थापना की गई जिसके द्वारा राज्य के सभी सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, निगमों, सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों आदि, जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण या गारंटर के रूप में वित्तीय हित निहित है, की परिसम्पत्तियों आदि के लिये साधारण बीमा की विभिन्न प्रकार की पॉलिसी जारी की जाती है।

प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्पआय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित/पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' (MADBY) संचालित है। उक्त योजना दिनांक 1.05.2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना

बीमा योजना के नाम से लागू की गई थी। योजना में क्षति/मृत्यु होने पर अधिकतम राशि रूपये 10 लाख का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इस योजना में दिनांक 01.11.2022 से राज्य की विद्युत कम्पनियों के कार्मिकों के परिवारों को भी सम्मिलित किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में इस विभाग को मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा तथा मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना के संचालन/बीमाकर्ता का दायित्व दिया गया है।

विभाग द्वारा संचालित उपर्युक्त समस्त योजनाएँ कर्मचारियों एवं आमजन के लिये कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जो बीमा सुरक्षा कवरेज उपलब्ध कराने, बचत को प्रोत्साहन देने व आयकर में छूट प्रदान करने के साथ ही न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर राज्यकर्मी तथा उसके परिजनों आदि को आर्थिक सम्बल प्रदान करती हैं।

## 2. राज्य बीमा योजना

राज्य बीमा योजना राजस्थान राज्य के गठन के उपरान्त कर्मचारी बीमा नियम 1953 के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मियों पर लागू है। योजना में नवीन नियम 01.04.1998 से प्रभावी किये गये हैं। नवीन नियमों के परिप्रेक्ष्य में योजना की कार्यविधि पुस्तिका (मैन्युअल) के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

- 1) **योजना किन पर लागू है:-** अनिवार्य राज्य बीमा योजना स्थाई राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू है। जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत लाया गया उन पर भी दिनांक 1.4.1995 से यह योजना लागू की गई है। नियम 8(1)
- 2) **राज्य सरकार की गारन्टी :-** राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी की गई बीमा प्रसंविदाओं के अधीन देय लाभ एवं अन्य रकम को राज्य की संचित निधि में से चुकाने की राज्य सरकार गारन्टी देती है। (नियम 4)
- 3) **बीमाधन कुर्की से मुक्त:-** बीमा नियमों के अनुसार राज्य बीमा विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले बीमा प्रमाण पत्र के अंतर्गत देय बीमाधन न्यायालय द्वारा डिक्री एवं उसकी क्रियान्विति में कुर्की से मुक्त है। जिन मामलों में भवन निर्माण / क़य हेतु किसी वित्तीय संस्था से लिये गये ऋण के विरुद्ध बीमा पॉलिसी को बंधक रखा हुआ है, उनमें संबंधित संस्थान से पॉलिसी को मुक्त कराये जाने पर ही बीमाधन का भुगतान बीमेदार/दावेदार को किया जाता है। (नियम 50)
- 4) **बीमेदारों की संख्या :-** राज्य बीमा योजना में एसआईपीएफ पोर्टल से उपलब्ध सूचना के आधार पर कुल बीमेदारों की अनुमानित संख्या 742614 है।
- 5) **बीमा निधि :-** वर्ष 2024-25 के अन्त में राज्य सरकार के पास जमा बीमा निधि रुपये 31942.22 करोड़ है, जिसका राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निधि में जमा राशि पर 7.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाता है।
- 6) **मूल्यांकन एवं बोनस :-** राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2025 के द्वारा राज्य कर्मचारियों की एण्डोमेंट बीमा पॉलिसियों पर वर्ष 2022-23 तक रुपये 85/- प्रति हजार प्रतिवर्ष की दर से बोनस घोषित किया गया है।
- 7) **बीमा नियम 1998 में संशोधन :-**
  - 1) बीमा नियम 44(2) में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4(36) एफ.डी./राजस्व/96पार्ट दिनांक 22.11.2007 द्वारा बीमा ऋण की किस्ते 36 के स्थान पर 60 की गई है।
  - 2) बीमा नियम 11(3) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट दिनांक 02.03.2009 को अधिसूचना जारी कर कर्मचारियों के अधिक जोखिम वहन की आयु 50 से बढ़ाकर 55 वर्ष कर दी गयी है।

3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प-4(36)वित्त/राजस्व/96पार्ट-2 दिनांक 16.12.2010 द्वारा बीमा नियम 1998 के नियम 22(2)(ii) में अपर निदेशक के पश्चात् संयुक्त निदेशक जोड़ा गया है।

8) **राज्य बीमा पॉलिसी की अन्य विशेषताएँ :-**

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अन्तर्गत योजना में जमा प्रीमियम राशि पर आयकर छूट का प्रावधान है।
2. योजना के नियमों के अंतर्गत बीमेदार द्वारा आवश्यकता अनुसार बीमा ऋण प्राप्त किया जा सकता है। ऋण हेतु किसी कारण को इंगित करने की आवश्यकता नहीं है तथा कर्मचारियों (बीमित) से ऋण पर ब्याज वही लिया जाता है जो कि राज्य सरकार द्वारा बीमा निधि पर देय होता है।
3. पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमेदार की मृत्यु होने पर नियमानुसार मनोनीत व्यक्ति को दुगुने बीमाधन का मय बोनस भुगतान किया जाता है, जिसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं लिया जाता है।
4. बीमा योजना में 1 रु0 के प्रीमियम पर अन्य बीमा कम्पनियों की तुलना में बीमाधन अधिक है एवं अन्य बीमा योजना की तुलना में बोनस भी अधिक दिया जाता है।
5. विभाग राजस्थान सरकार के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन पद धारण करने वाले किसी कर्मचारी का इस बीमा योजना के अधीन बीमा करने के लिये स्वतंत्र होगा, यदि उक्त उपक्रम के 50 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारी बीमा कराने के लिये सहमत हों।**(नियम-9)**
6. राजस्थान संवर्ग का अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य विभाग की बीमा योजना के अधीन बीमा कराने का विकल्प ले सकता है।**(नियम-10)**
7. बीमाकृत व्यक्ति के विवाह के पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया और तत्पश्चात् रद्द नहीं किया गया नामनिर्देशन उसके विवाह के पश्चात् उसकी पत्नी/पति के पक्ष में स्वतः ही रद्द किया हुआ समझा जायेगा।**(नियम-31)**
8. बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने का विकल्प लेने का प्रावधान है।**(नियम-39(2)(1))**
9. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट-लूज दिनांक 13.12.2017 के अनुसार राज्य बीमा योजना के जारी अधिकार पत्रों का भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्थान पर विभाग के जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 01.01.2018 से कर्मचारी/दावेदार के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जा रहा है।
10. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.4(2)वित्त/राजस्व/96 पार्ट-I दिनांक 08.12.2020 अनुसार राज्य बीमा ऋण पेपरलैस व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार के आदेश

क्रमांक प.4(36)वित्त/राजस्व/96 पार्ट-II दिनांक 17.03.2021 के अनुसार राज्य बीमा के समस्त प्रकार के दावों का निस्तारण भी पेपरलेस व्यवस्था के अन्तर्गत किया जा रहा है।

- 9) **बीमा कटौती की दरें:**— राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-13(21)वित्त/राजस्व/76 पार्ट, दिनांक 13.03.2020 के द्वारा राज्य बीमा प्रीमियम की संशोधित कटौती दरें निम्नानुसार हैं एवं दिनांक 01.04.2020 से प्रभावी है :-

| क्र०सं० | मूल वेतन                | खण्ड दरें (मासिक प्रीमियम) |
|---------|-------------------------|----------------------------|
| 01      | रुपये 22000 तक          | 800                        |
| 02      | रुपये 22001 से 28500 तक | 1200                       |
| 03      | रुपये 28501 से 46500 तक | 2200                       |
| 04      | रुपये 46501 से 72000 तक | 3000                       |
| 05      | रुपये 72000 से अधिक पर  | 5000                       |
| 06      | अधिकतम                  | 7000                       |

वेतन खण्ड के लिए निर्धारित मासिक प्रीमियम की कटौती करवाना अनिवार्य है, परन्तु यदि, बीमेदार चाहे तो स्वेच्छा से अपने वेतन खण्ड से आगामी दो वेतन खण्डों के लिये निर्धारित दरों पर कटौती करवाकर नियमानुसार अधिक बीमाधन के लिये भी बीमित हो सकता है, लेकिन वेतन खण्ड 5 के अंतर्गत आने वाले बीमेदार अधिकतम 7000/- रुपये प्रतिमाह तक ही कटौती करवा सकेंगे।

- 10) **योजना का कार्य संपादन :-** योजना संबंधी समस्त कार्य यथा पॉलिसी जारी करना, अधिक जोखिम वहन करना, ऋण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन, खाता स्थानान्तरण तथा बीमा स्वत्व का निस्तारण आदि कार्य बीमेदार के पदस्थापन संबंधी जिला कार्यालय स्तर पर ही सम्पादित किया जा रहा है।

- 11) **बीमा योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण :-**

राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :-

| क्र.सं. | दावों के प्रकार  | उत्पन्न मामले | निस्तारित मामले | निस्तारण का प्रतिशत |
|---------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1—      | परिपक्वता स्वत्व | 22271         | 22181           | 99.60               |
| 2—      | मृत्यु स्वत्व    | 3193          | 2936            | 91.95               |
| 3—      | अध्ययपण स्वत्व   | 1654          | 1480            | 89.48               |
| 4—      | बीमा ऋण          | 41597         | 39732           | 95.52               |

राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :-

| क्र.सं. | दावों के प्रकार  | उत्पन्न मामले | निस्तारित मामले | निस्तारण का प्रतिशत |
|---------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1-      | परिपक्वता स्वत्व | 22219         | 22195           | 99.89               |
| 2-      | मृत्यु स्वत्व    | 2916          | 2763            | 94.75               |
| 3-      | अर्ध्यपण स्वत्व  | 1727          | 1622            | 93.92               |
| 4-      | बीमा ऋण          | 36932         | 36932           | 100.00              |

राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार रही है :-

| क्र.सं. | दावों के प्रकार  | उत्पन्न मामले | निस्तारित मामले | निस्तारण का प्रतिशत |
|---------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1-      | परिपक्वता स्वत्व | 23140         | 23119           | 99.91               |
| 2-      | मृत्यु स्वत्व    | 2188          | 2033            | 92.92               |
| 3-      | अर्ध्यपण स्वत्व  | 1112          | 1043            | 93.73               |
| 4-      | बीमा ऋण          | 45591         | 45591           | 100.00              |

वर्ष 01.04.2025 से दिसम्बर, 2025 तक उत्पन्न एवं निस्तारित प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

| क्र.सं. | दावों के प्रकार  | उत्पन्न मामले | निस्तारित मामले | निस्तारण का प्रतिशत |
|---------|------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1-      | परिपक्वता स्वत्व | 22983         | 22957           | 99.89               |
| 2-      | मृत्यु स्वत्व    | 1651          | 1495            | 90.55               |
| 3-      | अर्ध्यपण स्वत्व  | 569           | 502             | 88.22               |
| 4-      | बीमा ऋण          | 37725         | 37725           | 100.00              |

- 12) प्राप्तियां एवं भुगतान :- वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं दिसम्बर, 2025 तक की प्राप्तियां एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ों में)

| वर्ष                          | पूर्व शेष | प्राप्तियां | ब्याज   | योग      | भुगतान  | शेष      |
|-------------------------------|-----------|-------------|---------|----------|---------|----------|
| 2022-23                       | 23599.28  | 3961.89     | 1806.04 | 29367.21 | 2999.36 | 26367.85 |
| 2023-24                       | 26367.85  | 4317.32     | 2011.25 | 32696.32 | 3419.75 | 29276.67 |
| 2024-25                       | 29276.67  | 4653.98     | 2212.73 | 36143.38 | 4201.16 | 31942.22 |
| 2025-26<br>दिसम्बर 2025<br>तक | 31942.22  | 3883.95     | —       | —        | 4031.49 |          |

### **3. प्रावधायी निधि योजना**

#### **1. सामान्य प्रावधायी निधि योजना:-**

##### **(i) योजना विभिन्न चरणों में निम्न पर लागू हुई:-**

राज्य बीमा योजना में प्रविष्टि हेतु अयोग्य घोषित कर्मचारियों पर योजना दिनांक 01.04.1954 से अनिवार्य रूप से लागू हुई थी। योजना में स्वेच्छा से अंशदान करने वाले और राज्य बीमा कटौती के अयोग्य घोषित कर्मचारियों के लिये अनिवार्य सामान्य प्रावधायी निधि कटौती के खातों के रखरखाव का कार्य महालेखाकार से विभाग द्वारा 01.04.1979 को लिया गया था, जो निरंतर इस विभाग द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। योजना दिनांक 1.5.1980 से समस्त राज्य कर्मचारियों, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू की गई।

योजना दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं थी, जिसे नवम्बर 2020 से ऐच्छिक रूप से जीपीएफ- 2004 नाम से लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू किये जाने के कारण जीपीएफ-2004 को दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त सभी कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू किया गया है।

योजना पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम 1997 जो कि दिनांक 01.06.1997 से प्रभावी थे, के स्थान पर वित्त (बीमा) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(2) वित्त/नियम/2021 जयपुर दिनांक 12.10.2021 से राजस्थान राज्य कर्मचारी प्रावधायी निधि नियम 2021 लागू किये गये हैं।

##### **(ii) सामान्य प्रावधायी निधि योजना के प्रमुख आकर्षण**

1. योजना के अन्तर्गत जमा राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित ब्याज दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है। वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही तक ब्याज दर 7.1 प्रतिशत वार्षिक है।

2. कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: F.2 (1)FD (Rules)/96 दिनांक 30-03-1999 द्वारा प्रावधायी निधि नियम 4 (1) (2) एवं 14 (2) में किये गये संशोधनानुसार खाते में जमा रख सकता है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.2(1)FD(Rules)/2008 pt-1 दिनांक 28 जून 2012 के द्वारा राजस्थान केडर के सेवा निवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं राजस्थान हाईकोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायाधियों को उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अपने सेवानिवृत्ति परिलाभों की राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F. 2 (1)FD (Rules)/2008 pt-1 दिनांक 11-10-2017 द्वारा सेवा निवृत्ति परिलाभ जमा राशि पर जीपीएफ में प्रचलित ब्याज दर लागू की

गई है एवं योजना में राशि जमा होने के पश्चात् आहरण हेतु लॉग-इन पीरियड को समाप्त कर दिया गया है।

3. राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को अधिक से अधिक बचत को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सुविधा प्रदान की गई है कि अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती है।
4. वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.08.2023 अनुसार राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम-2021 के नियम 4 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गये:-
  - खाताधारक को सेवानिवृत्ति पश्चात् भी जीपीएफ खाता चालू रखने का विकल्प होगा।
  - सेवानिवृत्ति के पश्चात् खाता बन्द होने की स्थिति में खाता पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
  - पेंशनर प्राप्त सकल मासिक पेंशन राशि में से अधिकतम 1/3 की सीमा तक जीपीएफ खातों में कटौती करवा सकता है।
  - जमा राशि एवं अर्जित ब्याज पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर, यदि कोई हो, के भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित खाताधारक का होगा।
  - उक्त सुविधा पारिवारिक पेंशनर्स को प्राप्त नहीं होगी।

(iii) सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें:-

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-2 (1)वित्त/(नियम)/2008 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा दिनांक 01-03-2018 से सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गई हैं:-

| क्र०सं० | वेतन खण्ड                     | मासिक अंशदान दर (रु में) |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| 1-      | रुपये 23100/- तक              | 1450                     |
| 2-      | रुपये 23101/- से 28500/- तक   | 1625                     |
| 3-      | रुपये 28501/- से 38500/- तक   | 2100                     |
| 4-      | रुपये 38501/- से 51500/- तक   | 2850                     |
| 5-      | रुपये 51501/- से 62000/- तक   | 3575                     |
| 6-      | रुपये 62001/- से 72000/- तक   | 4200                     |
| 7-      | रुपये 72001/- से 80000/- तक   | 4800                     |
| 8-      | रुपये 80001/- से 116000/- तक  | 6150                     |
| 9-      | रुपये 116001/- से 167000/- तक | 8900                     |
| 10-     | रुपये 167000 से अधिक पर       | 10500                    |

(IV) **आहरण:—** राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधानी निधि नियम-2021 के नियमानुसार जीपीएफ ऑटो/मैन्युअल प्रणाली द्वारा आहरण क्रियान्वित किया जा रहा है।

(v) **योजना का कार्य संपादन:—**

दिनांक 01.05.1980 से सभी राज्य कर्मचारियों पर यह योजना लागू होने पश्चात सभी जिलों द्वारा विकेन्द्रीकृत रूप से योजना को लागू किया गया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत खातेदार का समस्त कार्य यथा खाता संख्या आवंटन करना, आहरण स्वीकृति, कटौतियों का समायोजन तथा स्वत्व का निस्तारण आदि कार्य ऑनलाईन एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से खातेदार के पदस्थापित जिला कार्यालय स्तर पर ही सम्पादित किया जा रहा है।

(vi) **योजना अंतर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित दावों का विवरण:—**

विभागीय मुख्य कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरुद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना:—

| अवधि                                  | मामलों की प्रकृति | उत्पन्न मामले | निस्तारित मामले | निस्तारण प्रतिशत |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| वर्ष 2022-23                          | सेवानिवृति स्वत्व | 27119         | 24531           | 90.46            |
|                                       | मृत्यु स्वत्व     | 2213          | 2054            | 92.81            |
|                                       | आहरण              | 48617         | 48046           | 98.82            |
| वर्ष 2023-24                          | सेवानिवृति स्वत्व | 28470         | 26337           | 92.51            |
|                                       | मृत्यु स्वत्व     | 1767          | 1700            | 96.21            |
|                                       | आहरण              | 47884         | 45579           | 99.36            |
| वर्ष 2024-25                          | सेवानिवृति स्वत्व | 25302         | 23569           | 93.15            |
|                                       | मृत्यु स्वत्व     | 1563          | 1451            | 92.83            |
|                                       | आहरण              | 48331         | 47983           | 99.28            |
|                                       | रिफण्ड            | 4165          | 4145            | 99.52            |
| वर्ष 2025-26<br>(माह दिसम्बर 2025 तक) | सेवानिवृति स्वत्व | 19727         | 17683           | 89.64            |
|                                       | मृत्यु स्वत्व     | 1071          | 987             | 92.16            |
|                                       | आहरण              | 37859         | 37220           | 98.31            |
|                                       | रिफण्ड            | 2807          | 2756            | 98.18            |

(vii) **प्राप्ति एवं भुगतान:**—प्राव. निधि योजना में प्राप्तियों एवं भुगतान का विवरण निम्नानुसार है:—

(राशि करोड़ों में)

| वर्ष                                 | पूर्व शेष | प्राप्तियां | ब्याज    | योग       | भुगतान   | शेष       |
|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| 2022—23                              | 37360.47  | 6164.98     | 2673.23  | 46198.68  | 6002.25  | 40196.371 |
| 2023—24                              | 40196.371 | 6389.520    | 2909.452 | 49495.343 | 5593.506 | 43901.837 |
| 2024—25                              | 43901.837 | 6213.892    | 2974.420 | 53090.149 | 5790.425 | 47299.724 |
| 2025—26<br>(माह<br>दिसम्बर 25<br>तक) | 47299.724 | 4785.110    | —        | 52084.834 | 4642.174 | 47442.660 |

(viii) **कुल खातेदार**

ऑनलाईन गणनानुसार योजनान्तर्गत कुल 1,95,350 खातेदार है।

(ix) **सामान्य प्रावधायी निधि फंड—**

वर्ष 2025—26 (माह दिसम्बर 2025 तक) के अन्त में कुल सामान्य प्रावधायी निधि फण्ड राशि रु. 47442.660 करोड़ रुपये है।

(x) **खाताबंदी**

सामान्य प्रावधायी निधि योजना के अन्तर्गत खाताबंदी का कार्य ऑनलाईन वर्ष 2023—24 तक पूर्ण है।

2. **अंशदायी प्रावधायी निधि योजनायें:—**

विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर पेंशन की एवज में अंशदायी प्रावधायी निधि योजना राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में लागू की गयी। विभाग द्वारा मुख्यतः निम्नलिखित अंशदायी प्रावधायी निधि योजनाओं का संचालन किया जाता है:—

| क्र.स. | योजना का नाम                                                                    | संधारित वर्ष |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.     | राजस्थान राज्य कर्मचारी विद्युत यांत्रिक एवं जलदाय विभाग अंशदायी प्रावधायी निधि | 1955         |
| 2.     | सार्वजनिक निर्माण विभाग उद्यान सहित                                             | 1961         |
| 3.     | सिंचाई विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारियों पर अंशदायी प्रावधायी निधि            | 1964         |
| 4.     | खान एवं भू-विज्ञान के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की अंशदायी भविष्य निधि         | 1987         |
| 5.     | वन विभाग के कर्मनिरूपित कर्मचारियों पर अंशदायी भविष्य निधि                      | 1994—97      |

उपर्युक्त सारणी के आधार पर समस्त योजनाओं के अन्तर्गत अंशदान की दर वेतन का 8 प्रतिशत है तथा राज्य सरकार भी इतनी ही राशि राजकीय अंशदान के रूप में अंशदाता के खाते में जमा करती है। इन कर्मचारियों को नियमित घोषित करने पर निर्धारित अवधि में पेंशन लाभ-चयन की सुविधा दी जाती है जो कर्मचारी पेंशन लाभ का चयन करते हैं, उनके वेतन से अंशदायी प्रावधायी निधि की ओर कटौती बंद कर सामान्य प्रावधायी निधि की कटौती की जाती है।  
वर्तमान सीपीएफ खातों की स्थानान्तरण प्रविष्टियां जारी करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

(i) **सिंचाई विभाग कर्म निरूपित (परियोजनाओं सहित) व सार्वजनिक निर्माण विभाग (उद्यान सहित) प्राप्तियों एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-**

(राशि करोड़ों में)

| योजना       | वर्ष                          | पूर्व शेष | प्राप्तियां मय<br>ब्याज | भुगतान | अन्तिम शेष |
|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|--------|------------|
| अं०प्रा०नि० | 2022-23                       | 1142.61   | 81.20                   | 0.00   | 1223.81    |
| सा०प्रा०नि० |                               | 510.05    | 36.21                   | 0.00   | 546.26     |
| अं०प्रा०नि० | 2023-24                       | 1223.803  | 86.944                  | 0.00   | 1310.747   |
| सा०प्रा०नि० |                               | 546.2785  | 38.7858                 | 0.00   | 585.064    |
| अं०प्रा०नि० | 2024-25                       | 1310.747  | 0.008                   | 0.00   | 1310.755   |
| सा०प्रा०नि० |                               | 585.064   | 0.00                    | 0.00   | 585.064    |
| अं०प्रा०नि० | 2025-26<br>दिसम्बर<br>2025 तक | 1310.755  | -49.747                 | 0.00   | 1261.008   |
| सा०प्रा०नि० |                               | 585.0643  | -03.201                 | 0.00   | 581.8633   |

(ii) **जलदाय विभाग में प्राप्तियों एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-**

(राशि करोड़ों में)

| योजना       | वर्ष                          | पूर्व शेष | प्राप्तियां मय<br>ब्याज | भुगतान | अन्तिम<br>शेष |
|-------------|-------------------------------|-----------|-------------------------|--------|---------------|
| अं०प्रा०नि० | 2022-23                       | 229.55    | 16.04                   | 0.00   | 245.59        |
| सा०प्रा०नि० |                               | 148.28    | 10.52                   | 0.00   | 158.80        |
| अं०प्रा०नि० | 2023-24                       | 245.926   | 17.481                  | 0.00   | 263.407       |
| सा०प्रा०नि० |                               | 158.804   | 11.275                  | 0.00   | 170.079       |
| अं०प्रा०नि० | 2024-25                       | 263.407   | 0.005                   | 0.00   | 263.412       |
| सा०प्रा०नि० |                               | 170.079   | 0.00                    | 0.00   | 170.079       |
| अं०प्रा०नि० | 2025-26<br>दिसम्बर<br>2025 तक | 263.412   | -27.993                 | 0.00   | 235.419       |
| सा०प्रा०नि० |                               | 170.079   | -08.014                 | 0.00   | 162.065       |

- (iii) खान एवं भू-विज्ञान विभाग के कार्य प्रभारित कर्मचारी योजना में प्राप्तियों एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ों में)

| योजना       | वर्ष               | पूर्व शेष | प्राप्तियां मय<br>ब्याज | भुगतान | अन्तिम शेष |
|-------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------|------------|
| अं०प्रा०नि० | 2022-23            | 2.55      | 0.18                    | 0.00   | 2.73       |
| सा०प्रा०नि० |                    | 0.42      | 0.03                    | 0.00   | 0.45       |
| अं०प्रा०नि० | 2023-24            | 2.733     | 0.194                   | 0.00   | 2.927      |
| सा०प्रा०नि० |                    | 0.456     | 0.032                   | 0.00   | 0.488      |
| अं०प्रा०नि० | 2024-25            | 2.927     | 0.00                    | 0.00   | 2.927      |
| सा०प्रा०नि० |                    | 0.488     | 0.00                    | 0.00   | 0.488      |
| अं०प्रा०नि० | 2025-26            | 2.927     | -0.031                  | 0.00   | 2.896      |
| सा०प्रा०नि० |                    | 0.488     | -0.002                  | 0.00   | 0.486      |
|             | दिसम्बर<br>2025 तक |           |                         |        |            |

- (iv) वन विभाग कर्मनिरूपित कर्मचारी अंशदायी प्रावधानी निधि एवं सामान्य भविष्य निधि योजना में प्राप्तियों एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ों में)

| योजना       | वर्ष               | पूर्व शेष | प्राप्तियां मय<br>ब्याज | भुगतान | अन्तिम शेष |
|-------------|--------------------|-----------|-------------------------|--------|------------|
| अं०प्रा०नि० | 2022-23            | 74.55     | 5.31                    | 0.00   | 79.86      |
| सा०प्रा०नि० |                    | 4.45      | 0.32                    | 0.00   | 4.77       |
| अं०प्रा०नि० | 2023-24            | 79.8682   | 5.6774                  | 0.00   | 85.546     |
| सा०प्रा०नि० |                    | 4.773     | 0.339                   | 0.00   | 5.112      |
| अं०प्रा०नि० | 2024-25            | 85.546    | 0.001                   | 0.00   | 85.547     |
| सा०प्रा०नि० |                    | 5.112     | 0.00                    | 0.00   | 5.112      |
| अं०प्रा०नि० | 2025-26            | 85.547    | -36.662                 | 0.00   | 48.885     |
| सा०प्रा०नि० |                    | 5.112     | -01.812                 | 0.00   | 03.300     |
|             | दिसम्बर<br>2025 तक |           |                         |        |            |

### 3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि योजना

यह योजना अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है। योजना के अन्तर्गत राजस्थान केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी आते हैं। इस योजना के खाते सामान्य प्रावधायी निधि के अनुरूप ही संधारित किये जाते हैं। योजना में अंशदाताओं की न्यूनतम कटौती कुल परिलब्धियों की 6 प्रतिशत की दर से की जाती है। अंशदाता चाहे तो निर्धारित दर से अधिक कटौती ऐच्छिक रूप से करवा सकता है, परन्तु यह कटौती पूर्ण वर्ष में वार्षिक परिलब्धियों से अधिक नहीं हो सकती है।

अखिल भारतीय सेवा प्रावधायी निधि में रखे गये खाते का निर्धारित सीमा तक अवशेष रहने पर लिंक बीमा पालिसी देय है, फलस्वरूप अंशदाता की सेवा में रहते हुए मृत्यु के समय उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है, इसके अन्तर्गत अंशदाता के असामयिक निधन के समय उनके खाते में तीन वर्ष की औसत जमा के बराबर अथवा 30,000/— की राशि जो भी कम हो, का भुगतान किया जाता है। इस राशि का व्यय—भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। वर्तमान में प्रा०नि. योजना के अन्तर्गत 289 अंशदाता हैं।

योजना के अन्तर्गत उत्पन्न एवं निस्तारित मामलों का विवरण निम्नानुसार है:—

| वर्ष                         | मामलों की प्रकृति     | उत्पन्न मामले | निस्तारित मामले | निस्तारण का प्रतिशत (%) |
|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 2022—23                      | प्रावधायी निधि स्वत्व | 29            | 22              | 75.86%                  |
|                              | स्थायी प्रत्याहरण     | 10            | 10              | 100%                    |
|                              | अस्थायी प्रत्याहरण    | —             | —               | —                       |
| 2023—24                      | प्रावधायी निधि स्वत्व | 34            | 34              | 100%                    |
|                              | स्थायी प्रत्याहरण     | 28            | 28              | 100%                    |
|                              | अस्थायी प्रत्याहरण    | —             | —               | —                       |
| 2024—25                      | प्रावधायी निधि स्वत्व | 30            | 30              | 100%                    |
|                              | स्थायी प्रत्याहरण     | 24            | 24              | 100%                    |
|                              | अस्थायी प्रत्याहरण    | —             | —               | —                       |
| 2025—26<br>माह—दिसम्बर<br>तक | प्रावधायी निधि स्वत्व | 24            | 22              | 91.66%                  |
|                              | स्थायी प्रत्याहरण     | 34            | 34              | 100%                    |
|                              | अस्थायी प्रत्याहरण    | —             | —               | —                       |

#### 4. अखिल भारतीय सेवा ग्रुप बीमा योजना

यह योजना राजस्थान केडर के सीधी भर्ती से नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर 01.01.1982 से अनिवार्य रूप से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी द्वारा 120/- रुपये मासिक अंशदान किया जाता है।

इस अंशदान की राशि दो भागों में विभक्त होती है। 1/3 अंशदान बीमा निधि एवं 2/3 अंशदान बचत निधि में जमा होता है। अधिकारी की सेवा में रहते मृत्यु होने पर उनके मनोनीत को 1,20,000 रुपये एवं बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के प्रदान की जाती है। सेवानिवृत्ति पर बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज के देय होती है। योजना में देय लाभ भारत सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। विभाग द्वारा सभी अधिकारियों की राशि प्रति माह एक साथ अग्रिम रूप में भारत सरकार को भिजवायी जाती है। योजना में अंशदाताओं की संख्या 431 है।

#### 5. कार्मिक कल्याण कोष –

राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याणार्थ वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक 4(09)एफडी/बीमा/2021 जयपुर दिनांक 26.07.2021 से 3 हजार करोड़ के कार्मिक कल्याण कोष के गठन के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक कल्याण कोष के संचालन हेतु कोष के अंतर्गत पीडी खाता संख्या 18699 खोला गया है।

योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रु. 776.75 करोड़, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 2145 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 1224.7613 करोड़ आरजीएचएस को स्थानांतरित की जा चुकी है।

#### 6. जीपीएफ-2004 एवं जीपीएफ-सैब

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम,1997 के नियम 11(1)(ii) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, बोर्ड्स, एवं निगम आदि में नियुक्त कार्मिकों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 से नवीन योजनाएँ क्रमशः सामान्य प्रावधायी निधि-2004 (जीपीएफ-2004), सामान्य प्रावधायी निधि सैब (जीपीएफ-सैब) लागू की गई है।

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2022-23 में एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू किये जाने पर जीपीएफ-2004 में मासिक कटौतियों का राज्य सरकार की अधिसूचना प.2(2)वित्त (नियम)/2021 पार्ट दिनांक 25.05.2022 द्वारा अप्रैल 2022 से अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। उक्त योजनाओं के

अन्तर्गत कार्मिक अपनी वार्षिक परिलब्धियों की सीमा तक राशि जमा करा सकेंगे तथा जमा की गई राशि पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित दर के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि नियमों में उल्लेखित पद्धति के अनुसार ब्याज राशि खातेदार के खाते में क्रेडिट की जायेगी। दिनांक 31.03.2025 को जीपीएफ 2004 योजना में कुल फण्ड रूपयें **9325.11** करोड़ एवं जीपीएफ-सैब योजना का कुल फण्ड **467.16** करोड़ है।

## 4. साधारण बीमा निधि योजना

### **साधारण बीमा निधि योजना**

समस्त सरकारी विभागों, विधि द्वारा स्थापित निकायों, राजकीय उपक्रमों, राज्य निगमों, सहकारी समितियों एवं पंजीकृत संस्थानों जिनमें राज्य सरकार का शेयर होल्डिंग, ऋण अथवा गारण्टर के रूप में वित्तीय हित निहित है, के बीमाकर्ता के रूप में राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग के अन्तर्गत साधारण बीमा निधि की वर्ष 1991 में स्थापना की गई। भारत सरकार के तत्कालीन कंट्रोलर ऑफ इन्श्योरेंस द्वारा साधारण बीमा निधि को लाईसेंस संख्या 572/1992 जारी किया हुआ है जिसे वर्तमान में बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा मान्यता प्रदान की हुई है। साधारण बीमा निधि को फायर, मेरिन एवं विविध बीमा का कार्य करने हेतु लाईसेंस प्राप्त है। साधारण बीमा निधि द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित फीस का भुगतान कर आई.आर.डी.ए. से लाईसेंस का नवीनीकरण करवाया जाता है।

साधारण बीमा निधि द्वारा वर्तमान में निम्न प्रकार का बीमा जोखिम वहन किया जा रहा है:-

1. मैरीन बीमा
2. विविध बीमा
  - (i) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
  - (ii) मनी इन ट्रांजिट मनी इन कैश पॉलिसी
  - (iii) फिडिलिटी गारन्टी बॉन्ड
  - (iv) मशीनरी ब्रेक डाउन पॉलिसी
  - (v) बैंकर्स इण्डेमिनिटी पॉलिसी
  - (vi) वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी
  - (vii) बर्गलरी एण्ड थैफ्ट पॉलिसी
  - (viii) इलेक्ट्रोनिक इक्यूपमेंट पॉलिसी
  - (ix) सी.पी.एम. लोको पॉलिसी

साधारण बीमा योजना द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

#### **1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना**

जीपीए(ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम) के अन्तर्गत विभाग द्वारा राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, विद्युत कम्पनियों में नियुक्त कर्मियों, होम गार्ड विभाग में नियुक्त कार्मिकों तथा अन्य निगमों/मण्डलों/समितियों के कार्मिकों के लिये अलग-अलग पॉलिसियां जारी की जाती है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना के कारण निधन होने पर शोक संतप्त परिवार एवं दुर्घटना में हुई क्षति पर स्वयं बीमित को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की विभिन्न योजनाओं में वर्तमान प्रीमियम दर, बीमाधन, नवीनीकरण तिथि इत्यादि का विवरण निम्नानुसार है :—

| क्र. सं.                                                                | बीमा योजना                                                                        | वर्तमान प्रीमियम दर                                                                                               |                                                                                                                   | बीमाधन (रूपये में)                                                                          | पालिसी अवधि                  | विशेष विवरण                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                   | कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती                                                                                 | राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि                                                                                 |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                       | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (राज्यकर्मि)                                   | 700 /—<br>1400 /—<br>2100 /—                                                                                      | —<br>—<br>—                                                                                                       | 1000000<br>2000000<br>3000000                                                               | 1 मई से 30 अप्रैल प्रति वर्ष | राज्य कर्मचारी के अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।                                                                                                                  |
| <b>पुलिस कार्मिकों हेतु समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का विवरण</b> |                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                     |
| 2                                                                       | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पुलिसकर्मि)                                   | कार्मिक के वेतन से प्रीमियम कटौती                                                                                 | राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि                                                                                 | कुल बीमाधन(रूपये में) (कार्मिक के वेतन से कटौती एवं राज्य सरकार द्वारा वहन)                 | 1 अप्रैल से 31 मार्च         | <ul style="list-style-type: none"> <li>पुलिस कर्मियों के फरवरी माह के वेतन से प्रीमियम कटौती की जाती है।</li> <li>पुलिस विभाग द्वारा एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।</li> </ul> |
|                                                                         |                                                                                   | 1. कास्टे. से हैड कास्टे.<br>1350 /—<br>2. स.उ.निरी. से निरीक्षक<br>2700 /—<br>3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050 /— | 1. कास्टे. से हैड कास्टे.<br>1350 /—<br>2. स.उ.निरी. से निरीक्षक<br>2700 /—<br>3. उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050 /— | 10,00000 +10,00000 =20,00000<br>20,00000+20,00000 =40,00000<br>30,00000+30,00000 = 60,00000 |                              |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                         | समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (एएससी-बीडीएस-श्वान दल/ ईआरटी / एटीएस/ एसओजी ) | 10000 /—                                                                                                          |                                                                                                                   | 2500000                                                                                     | 1 अप्रैल से 31 मार्च         | पुलिस विभाग द्वारा एकमुश्त प्रीमियम जमा कराया जाता है।                                                                                                                              |

## 2. विविध बीमा की अन्य पॉलिसी:-

साधारण बीमा निधि द्वारा मेरिन एवं विविध बीमा यथा:-बर्गलरी, मनी, बैंकर्स इन्डेमिनिटी, फिडिलिटी, मशीनरी ब्रेक डाउन, वर्कमैन कम्पनसेशन इत्यादि पॉलिसियाँ भी जारी की जाती है। उक्त पॉलिसियों के विरुद्ध इस विभाग में प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु जोखिम वहन किया जाता है।

## 3. जीपीए राज्यकर्मि एवं पुलिसकर्मि योजनाओं का केन्द्रीकरण:-

दिनांक 01.05.2023 से जीपीए राज्यकर्मि एवं पुलिसकर्मि बीमा योजनाओं में दावा निस्तारण का कार्य राजस्थान सरकार, वित्त(बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक प.5(14)वित्त/बीमा/2022

जयपुर, दिनांक 16.06.2023 की पालना में वर्ष 2023-24 से जारी की जा रही समस्त जी. पी.ए. पॉलिसियों के विरुद्ध प्राप्त दावों का निस्तारण, ऑनलाईन केन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत **“मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना”** पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

4. राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग के आदेश क्रमांक प.5(6)वित्त/बीमा/2020 जयपुर दिनांक 04.11.2024 के द्वारा समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (बोर्ड/कॉर्पोरेशन/स्वायत्तशासी संस्थाओं) को केन्द्रीयकृत किया गया है।

5. **नवीन योजनाएँ:-**

- (i) राज्य के पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दुधारू पशुओं (गाय/भैंस) के साथ-साथ अन्य पशुओं (बकरी/भेड़/ऊंट) का भी बीमा किये जाने हेतु प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशुबीमा योजना लागू की गई है। इस योजना का नोडल विभाग पशुपालन विभाग है। योजनान्तर्गत राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग का साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा बीमाकर्ता के रूप में कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 13.12.2024 को किया गया है। वर्तमान में योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में लॉटरी के माध्यम से कुल 16,72,866 पशुओं का चयन किया गया जिसके विरुद्ध 13,00,073 पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए गये। उक्त जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्रों के विरुद्ध 10,68,425 पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी हैं। वर्ष 2025-26 का पशुबीमा का कार्य दिसम्बर, 2025 से प्रारम्भ हुआ, जिसमें कुल 1,86,173 पॉलिसीज जारी की जा चुकी है।
- (ii) प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बीमित अवधि में होने वाली दुर्घटनाओं के कारण क्षति/मृत्यु की स्थिति में, दुर्घटना बीमा एवं प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध करवाने हेतु **मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना** लागू की गई है। इस योजना का नोडल विभाग राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद है। योजनान्तर्गत साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा बीमाकर्ता के रूप में ट्रस्ट मोड पर कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 12.12.2024 को किया गया है।

विभिन्न प्रमुख बीमा योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त एवं निस्तारित दावों का विवरण निम्नानुसार है –  
(अ) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (राज्यकर्मों)

| वर्ष                    | पूर्व शेष | प्राप्त दावे | योग | निस्तारित दावे | शेष |
|-------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|-----|
| 2022–23                 | 45        | 281          | 336 | 262            | 64  |
| 2023–24                 | 64        | 220          | 284 | 221            | 63  |
| 2024–25                 | 63        | 241          | 304 | 222            | 82  |
| 2025–26<br>(31.12.2025) | 82        | 207          | 289 | 129            | 160 |

(ब) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पुलिसकर्मों)

| वर्ष                    | पूर्व शेष | प्राप्त दावे | योग | निस्तारित दावे | शेष |
|-------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|-----|
| 2022–23                 | 26        | 86           | 112 | 91             | 21  |
| 2023–24                 | 21        | 78           | 99  | 73             | 26  |
| 2024–25                 | 26        | 63           | 89  | 56             | 35  |
| 2025–26<br>(31.12.2025) | 35        | 52           | 87  | 35             | 52  |

(स) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (विद्युतकर्मों)

| वर्ष                    | पूर्व शेष | प्राप्त दावे | योग | निस्तारित दावे | शेष |
|-------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|-----|
| 2022–23                 | 11        | 43           | 54  | 43             | 11  |
| 2023–24                 | 11        | 04           | 15  | 14             | 01  |
| 2024–25                 | 01        | 04           | 05  | 04             | 01  |
| 2025–26<br>(31.12.2025) | 01        | 00           | 01  | 01             | 00  |

(द) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (अन्य बोर्ड/निगमकर्मों)

| वर्ष                    | पूर्व शेष | प्राप्त दावे | योग | निस्तारित दावे | शेष |
|-------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|-----|
| 2022–23                 | 00        | 04           | 04  | 04             | 00  |
| 2023–24                 | 00        | 01           | 01  | 01             | 00  |
| 2024–25                 | 00        | 00           | 00  | 00             | 00  |
| 2025–26<br>(31.12.2025) | 00        | 00           | 00  | 00             | 00  |

**(य) विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना**

| वर्ष                    | पूर्व शेष | प्राप्त दावें | योग | निस्तारित दावे | शेष |
|-------------------------|-----------|---------------|-----|----------------|-----|
| 2022-23                 | 39        | 398           | 437 | 422            | 15  |
| 2023-24                 | 15        | 16            | 31  | 31             | 00  |
| 2024-25                 | 00        | 07            | 07  | 07             | 00  |
| 2025-26<br>(31.12.2025) | 00        | 00            | 00  | 00             | 00  |

**(र) अन्य विविध बीमा**

| वर्ष                    | पूर्व शेष | प्राप्त | योग | निस्तारण | शेष |
|-------------------------|-----------|---------|-----|----------|-----|
| 2022-23                 | 05        | 01      | 06  | 03       | 03  |
| 2023-24                 | 03        | 00      | 03  | 00       | 03  |
| 2024-25                 | 03        | 00      | 03  | 02       | 01  |
| 2025-26<br>(31.12.2025) | 01        | 00      | 01  | 00       | 01  |

**(ल) मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना**

| क्र. सं. | राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा आई.डी. रजिस्टर्ड |       | खिलाड़ियों द्वारा प्रोफाईल अपडेट |       | सचिव राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा अनुशंषा |       | कार्यालय साधारण बीमा निधि द्वारा स्वीकृत सर्टीफिकेट |       |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| 1        | स्वीकृत                                               | बकाया | स्वीकृत                          | बकाया | स्वीकृत                                           | बकाया | स्वीकृत                                             | बकाया |
|          | 40                                                    | 08    | 34                               | 06    | 34                                                | 00    | 34                                                  | 00    |

साधारण बीमा योजना के अन्तर्गत विगत 4 वर्षों में प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण  
(महालेखाकार कार्यालय/आईएफएमएस में बुक राशि के आधार पर)

**बजट मद 8011-105-02-01**

| वर्ष                    | प्राप्त कुल प्रीमियम<br>(रु. करोड़ों में)                                                                                                     | कुल भुगतान<br>(रु. करोड़ों में)                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022-23                 | 548.28<br>(उक्त राशि में 480 करोड़ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित है।)                                                   | 379.46<br>(उक्त राशि में 330.99 करोड़ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत खर्च हुए हैं।)                                              |
| 2023-24                 | 403.55<br>(उक्त राशि में 50 करोड़ मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से एवं 291.91 करोड़ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित है।) | 596.03<br>(उक्त राशि में 532.78 करोड़ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना अन्तर्गत एवं 50 करोड़ मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना से संबंधित है।) |
| 2024-25                 | 99.79<br>(उक्त राशि में 65.70 करोड़ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित है।)                                                  | 16.13<br>(उक्त राशि में 4.70 करोड़ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संबंधित है।)                                                            |
| 2025-26<br>(31.12.2025) | 18.50                                                                                                                                         | 8.33                                                                                                                                                |

- ❖ वित्तीय वर्ष 2022-23 में माह अगस्त, 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त सभी दावों की राशि का भुगतान साधारण बीमा निधि कार्यालय के बजट मद संख्या 8011-00-105-02-01 से किया जा रहा है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-2023 में इस योजनान्तर्गत कुल 480 करोड़ राशि रुपये प्राप्त हुए हैं एवं 330.99 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजनान्तर्गत कुल 291.91 करोड़ राशि रुपये प्राप्त हुए हैं तथा 532.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

**बजट मद 8011-107-01**

| वर्ष                    | कुल प्राप्तियां<br>(रु. करोड़ों में) | कुल भुगतान<br>(रु. करोड़ों में) |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 2022-23                 | 28.43                                | 19.35                           |
| 2023-24                 | 91.06                                | 20.66                           |
| 2024-25                 | 79.00                                | 28.86                           |
| 2025-26<br>(31.12.2025) | 87.34                                | 23.18                           |

साधारण बीमा निधि की स्थापना वर्ष 1991 में 50,000/- रु. के फण्ड से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक यह फण्ड बढ़कर लगभग 813 करोड़ रु. हो गया था, जिसमें से राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग द्वारा जारी (स्वीकृति संख्या 25/2021-22) दिनांक 14.10.2021 के अनुसरण में बजट मद 8011-00-105-02-01 में से राजस्व मद संख्या 0075-00-800-(01) में राशि रुपये 166.59 करोड़ हस्तान्तरित की गई। राजस्थान सरकार वित्त (बीमा) विभाग द्वारा जारी (संशोधित स्वीकृति संख्या 28/2021-22) दिनांक 26.10.2021 के अनुसरण में बजट मद 8011-00-105-02-01 में से 133.41 करोड़ एवं बजट मद 8011-00-107-01 में से राशि रुपये 200 करोड़ (कुल राशि रुपये 333.41 करोड़) राजस्व मद संख्या 0075-00-800-(01) में हस्तान्तरित की गई। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस कार्यालय के उक्त बजट मदों से राजस्व मद संख्या 0075-00-800-(01) में  $(166.59 + 133.41 + 200 = 500)$  करोड़ हस्तान्तरित किये गये हैं।

दिनांक 01.04.2025 को साधारण बीमा निधि का फण्ड लगभग 751 करोड़ रु. है। साधारण बीमा निधि के बजट मदों की राशि राज्य सरकार के पास जमा है जिस पर वर्तमान में निधि को 7.5 वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा जनकल्याणकारी कार्यों में उपयोग में ली जा रही है।

## 5. राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS)

माननीय मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, सेवारत व सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राज्य के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजकीय व निजी अनुमोदित चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण कैंशलेस आउटडोर एवं इनडोर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर राज्य में दिनांक 01.07.2021 से लागू की गई “राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना” (आरजीएचएस) का इस विभाग द्वारा 30.11.2023 तक संचालन किया गया था।

“राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना” (आरजीएचएस) के क्रम में पूर्व में लिये गये निर्णयानुसार आरजीएचएस का क्रियान्वयन दिनांक 30.11.2023 से राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHHA) के द्वारा किया जा रहा था, किन्तु आरजीएचएस का बजट कंट्रोलिंग ऑफिस (BCO) निदेशक बीमा को ही रखा गया।

उक्त योजना में उत्पन्न कोर्ट कैंसेज में राज्य बीमा के विभागीय अधिकारी आरजीएचएस में उत्पन्न कैंसेज में प्रभारी अधिकारी (OIC) का कार्य सम्पादित कर रहे हैं साथ ही अब आरजीएचएस के संबंध में राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण (RSPAA) के अधीन आरजीएचएस के संबंध में Quality Control and Performance Audit Cell (QC&PA Cell) का गठन किया गया है, जिसमें भी विभाग के जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया।

अब राज्य सरकार के आदेश F.6(11)FD/Rules/2025 Jaipur, dated 05.06.2025 तथा नोटिफिकेशन F.5(5)FD/Insurance/2020 Jaipur, Dated: 06.06.2025 के द्वारा उक्त योजना का कार्य संचालक (नोडल विभाग) निदेशक, बीमा के स्थान पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (RSHHA) को तथा प्रशासनिक विभाग, वित्त (बीमा) विभाग के स्थान पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को बनाया गया है।

## 6. मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्प आय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत एवं पांचों विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कार्मिकों, जो उक्त दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो रहे हैं, के समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना** प्रारंभ की गयी है। उक्त योजना का संचालन **कार्यालय परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, राज्य बीमा एवं प्रावाधयी निधि विभाग** द्वारा किया जा रहा है।

1. योजनान्तर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में दुर्घटना कवर प्रदान किया जा रहा है :—
  - I. सड़क/वाहन दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवम् वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति।
  - II. बीमित के ऊँचाई से गिरने तथा बीमित पर ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।
  - III. मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु/क्षति।
  - IV. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।
  - V. रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण मृत्यु या क्षति।
  - VI. बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/क्षति।
  - VII. जलने से होने वाली मृत्यु/क्षति।
  - VIII. मशीन (थ्रेसर, कुट्टी मशीन, आरा मशीन, ग्लान्डर आदि) पर/से कार्य करते समय होने वाली मृत्यु/क्षति।
2. उक्त दुर्घटनाओं में क्षति होने पर 1.5—3 लाख रुपये की सहायता तथा परिवार में एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख एवं एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु पर 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना कवर प्रदान किया जाता है। यह योजना पूर्णतः पेपरलैस, कम्प्यूटरीकृत एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित है।
3. योजना के बिन्दु संख्या 12 (IX) के अन्तर्गत मुखिया की मृत्यु होने की स्थिति में पति तथा उनके भी जीवित नहीं होने पर परिवार में शेष रहे सदस्यों में भुगतान योग्य राशि समान अंशों में विभाजित कर बीमित परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा कराई जायेगी। ऐसे जनाधार परिवार जिसमें मुखिया से भिन्न विवाहित सदस्य की योजना में वर्णित दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कुल दावा राशि का भुगतान मुखिया एवं मृतक के पति/पत्नी (Spouse) को आधा-आधा देय होगा।

4. दिनांक 01.05.2022 से **31.12.2025** तक प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष                                     | कुल दावो की संख्या | कुल स्वीकृत दावो की संख्या | कुल रिवर्ट दावो की संख्या | कुल अस्वीकृत दावो की संख्या | प्रक्रियाधीन |
|------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>2022-23</b>                           | 11630              | 8448                       | 37                        | 3138                        | 7            |
| <b>2023-24</b>                           | 19286              | 12302                      | 712                       | 6223                        | 49           |
| <b>2024-25</b>                           | 16891              | 11237                      | 587                       | 4969                        | 98           |
| <b>2025-2026<br/>till<br/>31/12/2025</b> | 13033              | 6198                       | 3822                      | 1834                        | 1179         |
| <b>Total</b>                             | <b>60840</b>       | <b>38346</b>               | <b>5156</b>               | <b>16123</b>                | <b>1215</b>  |

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 (31.12.2025 तक) में दावों के पेटे कुल राशि रु. **1917** करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

## 7. मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के बिन्दु संख्या 42 में “मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना” लागू करने की घोषणा की गई है। योजनान्तर्गत प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के 18 वर्ष से 45 वर्ष आयुवर्ग के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं (street vendors) तथा लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों और भविष्य सम्बंधी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है।

योजना के पात्र अभिदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रुपये 3000/- (अक्षरे राशि रुपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। यह एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना है।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) के आदेश क्रमांक प.1(21) वित्त/बीमा/2024 जयपुर, दिनांक 22.08.2024 एवं संशोधित आदेश, दिनांक 26.11.2024 के द्वारा योजना के दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। उक्त योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्तर से किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा योजना का शुभारंभ 15 दिसम्बर 2024 को किया जा चुका है।

वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 18 से 40 आयु वर्ग के श्रमिक उक्त योजना में पंजीकृत किये जा रहे हैं, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थी जोड़कर योजना को विस्तृत रूप दिया गया है। अतः राज्य की उक्त योजना के 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लाभार्थियों को भारत सरकार की योजना से संलग्न किये जाने की कार्यवाही भारत के स्तर पर विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल <https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in> पर 41 से 45 आयुवर्ग के लाभार्थियों के लिए ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है, जिसके तहत दिनांक 31.12.2025 तक के 15178 लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं।

## 8. सिस्टम

### ➤ वेब-बेस्ड एप्लीकेशन

इस विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं के लेखों एवं कार्य-प्रक्रियाओं के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु एसआईपीएफ पोर्टल (कस्टमाइज्ड वेब-बेस्ड एप्लीकेशन) तैयार किया गया है। वर्तमान में पोर्टल का विकास, परिष्करण, नवीनीकरण, रख-रखाव तथा आईएफएमएस से इन्टीग्रेशन का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर (राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा किया जा रहा है। एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 का आर्किटेक्चर यूजर इंटरफेस (UI) एंग्यूलर, बैकएण्ड (API) DOT NET CORE एवं डेटाबेस Oracle 19C तकनीक पर आधारित है।

### ➤ ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन कार्य प्रगति

एसआईपीएफ ऑनलाईन कम्प्यूटराईजेशन की प्रक्रिया से राज्य के लगभग 8.00 लाख कर्मचारियों को निम्न लाभ प्राप्त हो रहे हैं:-

1. प्रावधानी निधि योजना एवं राज्य बीमा योजना के खाते दिनांक 01.04.2012 से ऑनलाईन किये जाकर पोर्टल पर खातों के अवलोकन की सुविधा राज्य कर्मचारियों को दी गई है।
2. प्रावधानी निधि योजना एवं राज्य बीमा योजना के ऋण, आहरण एवं अन्तिम भुगतान के प्रार्थना पत्रों का ऑनलाईन सबमिशन एवं डिस्पोजल किया जा रहा है।
3. प्रावधानी निधि योजना एवं राज्य बीमा योजना की सभी एप्लीकेशन के भुगतान सीधे ही संबंधित राज्य कर्मचारियों/दावेदारों के बैंक खातों में ऑनलाईन जमा कराया जा रहा है।

**एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से सम्पादित कार्य की विस्तृत प्रगति निम्नानुसार है :-**

- (1) **एम्प्लॉई डाटाबेस**—शासन सचिव, वित्त (बजट), कोष एवं लेखा विभाग के परिपत्र दिनांक 27.01.2024 की अनुपालना में दिनांक 01.02.2024 के पश्चात राज्य कर्मचारियों के सेवा में प्रवेश करने पर राजकीय सेवा संबंधी विस्तृत विवरण सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर सबमिट कराया जाता है जिसके आधार पर एम्प्लॉई मास्टर डाटा तैयार किया जाकर 16 डिजिट की यूनिक एम्प्लॉई आईडी जारी की जा रही है।

## (2) ऑनलाईन रिकार्ड कीपिंग

### राज्य बीमा योजना

- ❖ राज्य बीमा योजना में बीमेदार की प्रथम कटौती से मार्च, 2014 तक जारी बीमानुबन्धों को एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया गया था तथा दिनांक 01.04.2015 से बीमानुबन्ध (कॉन्ट्रैक्ट) ऑनलाईन जारी किये जा रहे हैं जिनके आधार पर राज्य कार्मिकों को एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 पर SI Contract List में प्रथम कटौती से अब तक जारी बीमानुबन्ध (कॉन्ट्रैक्ट), प्रीमियम, बीमा धन, बोनस आदि को व्यू किये जाने की सुविधा पोर्टल पर प्रदान की गई है।
- ❖ **बीमा पॉलिसी/बीमानुबन्ध जारी करना** दिनांक 01.04.2015 से उक्त कार्य एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 01.04.2022 से प्रथम/अधिक समाश्वासन “आधार बेस्ड ओटीपी” के माध्यम से सबमिट करवाये जाकर बीमा पॉलिसियां स्वचालित प्रक्रिया के तहत जारी करायी जा रही है।
- ❖ **अप्रैल, 2012 से दिसम्बर 2025 तक डेबिट एवं क्रेडिट** पे-मैनेजर के माध्यम से पारित वेतन बिलों की बीमा कटौतियों का डाटा पे-मैनेजर/आईएफएमएस 3.0 से एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कराया जाकर राज्य बीमा कटौतियों के लेजर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

### प्रावधायी निधि योजना

- ❖ प्रावधायी निधि योजना में अंशदाताओं की प्रथम कटौती से दिनांक 31.03.2012 तक की कटौतियों का रिकार्ड एसआईपीएफ पोर्टल पर फीड किया जाकर ऑल्ट लेजर के रूप में तैयार कर परिष्कृत/पूर्ण कराया जा रहा है।
- ❖ अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2025 तक का क्रेडिट एवं डेबिट का डाटा पे-मैनेजर/आईएफएमएस 3.0/ई-ग्रास से इम्पोर्ट कर एसआईपीएफ पोर्टल पर अपलोड कराया गया तथा ऑफलाईन बिल द्वारा जमा कटौतियां एवं माह सितम्बर 2016 तक केश चालानों के माध्यम से जमा शिड्यूल्स/कटौतियों का डाटा विभागीय कर्मचारियों द्वारा फीड किया गया जो संबंधित अंशदाताओं को पोर्टल पर जीपीएफ लेजर के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है।

## (3) एसआईपीएफ एवं आईएफएमएस (पे-मैनेजर) पोर्टल का इन्टीग्रेशन

- ❖ एसआईपीएफ पोर्टल का पे-मैनेजर/आईएफएमएस 3.0 एप्लीकेशन एवं ई-ग्रास एप्लीकेशन का इन्टीग्रेशन किया जाकर प्रावधायी निधि एवं राज्य बीमा योजना में अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2025 तक का डाटा एसआईपीएफ पोर्टल पर इम्पोर्ट कराया गया है तथा वर्तमान में विभाग द्वारा अंतिम भुगतान/आहरण एवं ऋणों का भुगतान ईसीएस के माध्यम से सीधे कार्मिक/दावेदारों के बैंक खातों में हो रहे हैं।

- ❖ एसआईपीएफ पोर्टल एवं ई-ग्रास पोर्टल के इंटीग्रेशन पश्चात कैंश चालान जमाकर्ता विभागों तथा कर्मचारियों के ई-चालान/शिडयूल्स एसआईपीएफ पोर्टल पर जनरेट कर कटौती राशि जमा करायी जा रही है।

#### (4) एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 द्वारा एप्लीकेशन निष्पादन

- ❖ एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 के माध्यम से समस्त आवेदनों का निस्तारण पूर्णतः पेपरलेस किया जा रहा है, जिसमें आहरण एवं वितरण अधिकारियों की भूमिका न्यूनतम है।
- ❖ एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में फेमिली डिटेल् को अपडेट करने, जीआरएन नम्बर अपडेट व व्यू करने, राज्य बीमा/जीपीएफ के दस्तावेज ई-बेग में अपलोड करने के एक्सेस राज्य कार्मिकों को दिये गये हैं।
- ❖ **मोबाईल मैसेज :-** एसआईपीएफ पोर्टल पर सम्पादित कतिपय कार्यो यथा एप्लीकेशन सबमिशन, फॉरवर्डिंग/अप्रूवल, बीमा परिपक्वता दावा प्रस्तुत करने, पूर्ण किये गये खातों आदि की जानकारी राज्य कर्मचारियों को दिये जाने बाबत ई-संचार के माध्यम से मोबाईल मैसेज भिजवाये जा रहे हैं।

➤ **विभागीय वैब-साईट** [www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in) पर निम्न सूचनाएं प्रदर्शित/उपलब्ध करायी जा रही हैं :-

- **विभागीय योजनायें** राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, साधारण बीमा, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन पेंशन योजना आदि योजनाओं की जानकारी कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है।
- **विभागीय योजनाओं की नियमावली**—राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, जीआईएस आदि से संबंधित नियम/उपनियम/अध्यादेश/संशोधन आदि उपलब्ध है।
- **विभागीय योजनाओ से संबंधित प्रपत्र**—राज्य बीमा, प्रावधायी निधि, जीआईएस, एमएडीबीवाय, एमवीपीवाय, एमएमपीबीवाय तथा एमएसपीवाय आदि योजनाओं से संबंधित आवश्यक प्रपत्र राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये उपलब्ध करवाये गये हैं।
- **डीडीओ एवं एम्प्लॉई कॉर्नर** डीडीओ एवं राज्य कर्मचारियों हेतु सामान्य जानकारियों उपलब्ध करवायी गयी हैं।
- **एसआईपीएफ पोर्टल एवं अन्य लिंक** राज्य कर्मचारियों की सुविधा के लिये पोर्टल एवं अन्य महत्वपूर्ण वेबसाइट्स के लिंक उपलब्ध करवाये गये हैं।

- SIPF Mobile App एवं विभागीय चैटबॉट विकसित किया जाकर कर्मचारियों को सूचना प्रदायगी को त्वरित एवं आसान किया गया है।
- ❖ **हेल्प डेस्क एवं टोल-फ्री हेल्प लाईन** राज्य के समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभागीय यूजर्स द्वारा एसआईपीएफ पोर्टल पर किये जा रहे कार्यों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान/मार्गदर्शन हेतु मुख्यालय पर टोल-फ्री हेल्प लाईन नम्बर 1800-180-6268 एवं हेल्प डेस्क [helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in](mailto:helpdesk.sipf@rajasthan.gov.in) सेवा उपलब्ध है। कार्यालय समय में टोल-फ्री नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।

## 9. लेखा (बजट)

विभाग के मुख्य शीर्ष 2235 एवं 4235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 60—अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम (राज्य निधि) के निम्नांकित लघु शीर्षों के वर्ष 2025—26 (दिसम्बर, 2025) के बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है:—

(राशि लाखों में)

| लघु शीर्ष                                                                                                         | आय—व्य.<br>अनु. 2023—24 | वास्तविक<br>व्यय<br>2023—24 | परिवर्तित/संशो<br>आय—व्य.अनु.<br>2024—25 | वास्तविक<br>व्यय<br>2024—25 | आय—व्ययक<br>अनु.<br>2025—26 | वास्तविक<br>व्यय<br>12/2025<br>तक |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 2235—60—104—निक्षेप<br>सहबद्ध बीमा<br>योजना—सरकारी भविष्य<br>निधि<br>(01)—जमा से प्रतिबद्ध बीमा<br>राज प्रा0 निधि | 0.01                    | 0.00                        | 0.01                                     | 0.00                        | 0.30                        | 0.30                              |
| 2235—60—104—निक्षेप सहबद्ध<br>बीमा योजना<br>(02)—प्रावधायी निधि के लेखों<br>का संधारण दत्तमत प्रभृत               | 4469.24<br>0.01         | 3747.71<br>0.00             | 3927.34<br>0.20                          | 3721.95<br>0.20             | 4269.86<br>0.15             | 3126.28<br>0.14                   |
| 2235—60—105—सरकारी<br>कर्मचारी बीमा योजना<br>(01)—राज्य बीमा विभाग<br>दत्तमत<br>प्रभृत                            | 7174.23<br>1.27         | 6276.97<br>1.27             | 7005.81<br>0.03                          | 6684.42<br>0.03             | 7725.62<br>0.01             | 5511.52<br>0.00                   |
| 2235—60—110—अन्य बीमा<br>योजनायें<br>(01)—साधारण बीमा योजना                                                       | 378.82                  | 314.21                      | 341.89                                   | 308.22                      | 361.89                      | 315.88                            |
| 2235—60—800—अन्य व्यय<br>(02)— निदे. रा बी एवं<br>प्रा0नि0 के माध्यम से<br>[01]—(मेडिकलेम)                        | 0.01                    | 0.00                        | 0.01                                     | 0.00                        | 0.01                        | 0.00                              |
| 2235—60—800—अन्य व्यय<br>(02)—निदे. रा बी एवं प्रा0नि0<br>के माध्यम से<br>[02]—नवीन अंशदायी पेंशन<br>योजना        | 1537.23                 | 1002.96                     | 2185.50                                  | 1997.60                     | 1756.05                     | 982.85                            |
| 2235—60—200—अन्य<br>कार्यक्रम,<br>23— आरजीएचएस 2021                                                               | 978.84                  | 567.57                      | 0.00                                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                              |

|                                                                                                                            |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2235-60-200-24, 789-07,<br>796-07<br>कार्मिक कल्याण योजनाएं                                                                | 122476.13                 | 122476.13                 | 0.03                      | 0.00                      | 0.03                      | 0.00                      |
| 2235-60-105-03-01,<br>789-06, 796-06<br>मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना<br>बीमा योजना                                        | 60553.27                  | 45710.14                  | 15141.90                  | 15140.40                  | 0.00                      | 0.00                      |
| 2235-60-200-27-01,<br>789-08, 796-08 मुख्यमंत्री<br>आयुष्मान दुर्घटना बीमा<br>योजना                                        | 0.00                      | 0.00                      | 45677.66                  | 35431.00                  | 60500.40                  | 60482.97                  |
| 2210-06-800-09, 789-13,<br>796-18<br>राजस्थान सरकार स्वास्थ्य<br>योजना-2021                                                | 140890.65                 | 140212.71                 | 301145.12                 | 300916.12                 | 301344.52                 | 75173.68                  |
| 2235-60-102-04, 789-09,<br>796-09<br>मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन<br>योजना                                                 | 0.00                      | 0.00                      | 606.31                    | 309.11                    | 1212.58                   | 0.00                      |
| 4235-800-अन्य व्यय(04)<br>राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि<br>विभाग के लिए भवन निर्माण<br>एवं सुदृढीकरण [90]-निर्माण<br>कार्य | 12838.63                  | 5052.77                   | 8083.95                   | 8027.91                   | 7002.16                   | 4540.08                   |
| 4235-60-800-(06) राज्य<br>बीमा एवं प्रावधायी निधि<br>विभाग का कम्प्यूटराईजेशन                                              | 140.00                    | 122.60                    | 0.93                      | 0.93                      | 0.01                      | 0.00                      |
| <b>दत्तमत<br/>प्रभृत</b>                                                                                                   | <b>351437.06<br/>1.28</b> | <b>325483.77<br/>1.27</b> | <b>384116.46<br/>0.23</b> | <b>372537.66<br/>0.23</b> | <b>384173.43<br/>0.16</b> | <b>150133.56<br/>0.14</b> |

## 10. उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के कार्यों के संबंध में सीधे राज्य कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, विभिन्न विभागों/कार्यालयों व अन्य स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के संतोषजनक एवं त्वरित निराकरण हेतु “उपभोक्ता संबंध एवं सतर्कता अनुभाग” की स्थापना की गयी है। अनुभाग के कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुये वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) एवं अतिरिक्त निदेशक (शिकायत निवारण) का पदस्थापन किया गया है।

अनुभाग में वर्तमान में निम्न से संबंधित कार्यों का संचालन किया जाता है—

1. लोकायुक्त/वित्त विभाग/जन अभाव अभियोग प्रकरण
2. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल शिकायतें
3. लोक सेवा गारंटी अधिनियम
4. मासिक कार्य प्रगति विवरण तैयार करना एवं समीक्षा बैठक आयोजन
5. सूचना का अधिकार
6. विधानसभा से संबंधित कार्य
7. अन्य कार्य—प्राप्त शिकायतों की जाँच आदि

### 1. लोकायुक्त/वित्त विभाग/जन अभाव अभियोग/सामान्य शिकायत/अन्य

उपभोक्ता संबंध अनुभाग (सीआरएस) में वर्ष 2022–23 से 2025–26 (दिसम्बर 2025 तक) में लोकायुक्त/वित्त/जन अभियोग/सामान्य शिकायत से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:—

| वित्तीय वर्ष                  | प्राप्त शिकायतें | निस्तारित शिकायतें |
|-------------------------------|------------------|--------------------|
| 2022–23                       | 799              | 799                |
| 2023–24                       | 258              | 258                |
| 2024–25                       | 356              | 356                |
| 2025–26 (माह दिसम्बर 2025 तक) | 279              | 269*               |

\* लम्बित शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## 2. राजस्थान सम्पर्क पोर्टल

अनुभाग में वर्ष 2022–23 से 2025–26 (माह दिसम्बर 2025 तक) राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:—

| वर्ष                           | उत्पन्न मामले | निस्तारित मामले |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| वर्ष 2022–23                   | 17764         | 17764           |
| वर्ष 2023–24                   | 19739         | 19739           |
| वर्ष 2024–25                   | 10415         | 10415           |
| वर्ष 2025–26(31 दिसम्बर, 2025) | 9832          | 9486*           |

\*लम्बित शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## 3. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग-1) की अधिसूचना दिनांक 10.10.2016 के द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों हेतु निम्नलिखित 13 विभागीय सेवाओं को निर्धारित अवधि में प्रदान करने बाबत प्रावधान किया गया है:—

| क्र. स. | सेवा का नाम                                   | निर्धारित अवधि        | पदाभिहित अधिकारी         | सहायक पदाभिहित अधिकारी | प्रथम अपील अधिकारी                                        | द्वितीय अपील अधिकारी |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1       | बीमा ऋण                                       | 10 दिवस               | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक बीमा        | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक               |
| 2       | बीमा स्वत्व                                   | 21 दिवस               | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक बीमा        | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक               |
| 3       | बीमा पॉलिसी जारी करना                         | प्रथम कटौती के दो माह | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक बीमा        | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक               |
| 4       | जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रिकार्ड बुक का सत्यापन | 7 दिवस                | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक जीपीएफ      | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक               |

|       |                                   |                     |                          |                        |                                                           |        |
|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 5     | जीपीएफ अंतिम आहरण                 | 15 दिवस             | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक जीपीएफ      | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |
| 6     | जीपीएफ स्वत्व                     | 21 दिवस             | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक जीपीएफ      | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |
| 7 *   | बीमा/जीपीएफ खाता स्थानान्तरण      | 30 दिवस             | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक बीमा/जीपीएफ | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |
| 8     | अधिक जोखिम वहन करना               | कटौती के दो माह में | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक बीमा        | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |
| 9     | साधारण बीमा योजना दावा            | 21 दिवस             | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक साधारण बीमा | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |
| 10    | विधार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा | 15 दिवस             | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक साधारण बीमा | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |
| 11    | समूह दुर्घटना बीमा योजना दावा     | 21 दिवस             | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक साधारण बीमा | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |
| 12    | मेडिकलेम                          | 30 दिवस             | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक साधारण बीमा | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |
| 13 ** | प्रान जारी करना                   | 20 दिवस             | सहायक/उप /संयुक्त निदेशक | पर्यवेक्षक एनपीएस      | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक /अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी) | निदेशक |

\* दिनांक 01.04.2021 से बीमा एवं जीपीएफ के बैग एवं लेजर ऑनलाईन स्थानान्तरण किये जा रहे हैं।

\*\* दिनांक 01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर ओपीएस को लागू किया गया है जिससे राज्य कर्मचारियों के लिये उक्त कार्य संपादित नहीं हो रहा है।

इस हेतु कार्यालयों में पदस्थापित कार्यालयाध्यक्ष पदाभिहित अधिकारी है एवं उनकी सहायता के लिये संबंधित योजना के पर्यवेक्षक सहायक पदाभिहित अधिकारी है। प्रथम अपील अधिकारी संबंधित संभाग के अतिरिक्त निदेशक है। पदाभिहित अधिकारी कार्यालय के किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को आवेदन

प्राप्त करने और उनकी अभिस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत करता है। प्राप्त आवेदनों को अधिसूचना में प्रत्येक सेवा के आगे दी हुई समय सीमा में निस्तारित किया जाता है। नियत समय सीमा की संगणना करते समय लोक अवकाश दिनों की गणना नहीं की जाती है।

अधिसूचना की धारा – 7 (1)(क) के तहत यदि पदाभिहित अधिकारी कोई सेवा प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विफल रहा है तो एक मुश्त राशि की शास्ति, जो पांच सौ रुपये से कम और पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी तथा अधिसूचना की धारा –7 (1)(ख) के तहत पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवायें प्रदान करने में पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के बिना विलम्ब किया है तो ऐसे विलम्ब के लिये पदाभिहित अधिकारी पर अतिरिक्त प्रतिदिन 250/– रुपये की दर से अधिकतम 5,000/– रुपये तक अधिरोपित करने हेतु द्वितीय अपील प्राधिकारी (निदेशक) को अधिकृत किया गया है।

#### 4. मासिक कार्य प्रगति विवरण करना एवं मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन

अनुभाग द्वारा समीक्षा बैठकों का आयोजन कर सभी संभाग/जिला कार्यालयों एवम् मुख्यालय के समस्त अधिकारियों के साथ विभाग की समस्त योजनाओं की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा की जाती है। समीक्षा बैठकों का कार्यवाही विवरण तैयार कर योजना प्रभारी अधिकारियों एवं समस्त जिला/संभागीय अधिकारियों को निर्देशों की अनुपालना हेतु भिजवाया जाकर निर्देशित किया जाता है। सभी योजना प्रभारियों से मासिक कार्य प्रगति विवरण प्राप्त एवं संकलित कर राज्य सरकार को भिजवाया जाता है।

#### 5. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग में वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2025–26 (दिसम्बर 2025 तक) में प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष                    | प्राप्त प्रकरण | निस्तारित प्रकरण | प्रकरण (कार्यवाही में) |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 2022–23                 | 6738           | 6738             | शून्य                  |
| 2023–24                 | 5798           | 5798             | शून्य                  |
| 2024–25                 | 6780           | 6780             | शून्य                  |
| 2025–26<br>(12/2025) तक | 3113           | 3041             | 72*                    |

\* लम्बित शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## प्रथम अपील

| वर्ष                    | प्राप्त | निस्तारित | बकाया |
|-------------------------|---------|-----------|-------|
| 2022-23                 | 1120    | 1120      | शून्य |
| 2023-24                 | 1286    | 1286      | शून्य |
| 2024-25                 | 1329    | 1329      | शून्य |
| 2025-26<br>(12/2025) तक | 872     | 753       | 119*  |

\* लम्बित शिकायतों के निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## 6. विधानसभा से संबंधित कार्य

राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्यों द्वारा समय-समय पर पूछे गये प्रश्नों, आश्वासनों, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि के संबंध में विभाग के विभिन्न अनुभागों, जिला/संभागीय कार्यालयों/अन्य विभागों आदि से सूचनाएँ संग्रहित कर, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राज्य सरकार एवम् विभिन्न विभागों को त्वरित सूचनाएँ/प्रत्युत्तर भिजवाया जाता है।

## 7. अन्य

विभाग के विभिन्न जिला/संभाग कार्यालयों/कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच से संबंधित कार्यों का सम्पादन भी निदेशक के निर्देशानुसार इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

## 11. कार्मिकों के स्वीकृत पदों का विवरण

दिनांक 31.12.2025 की स्थिति में विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

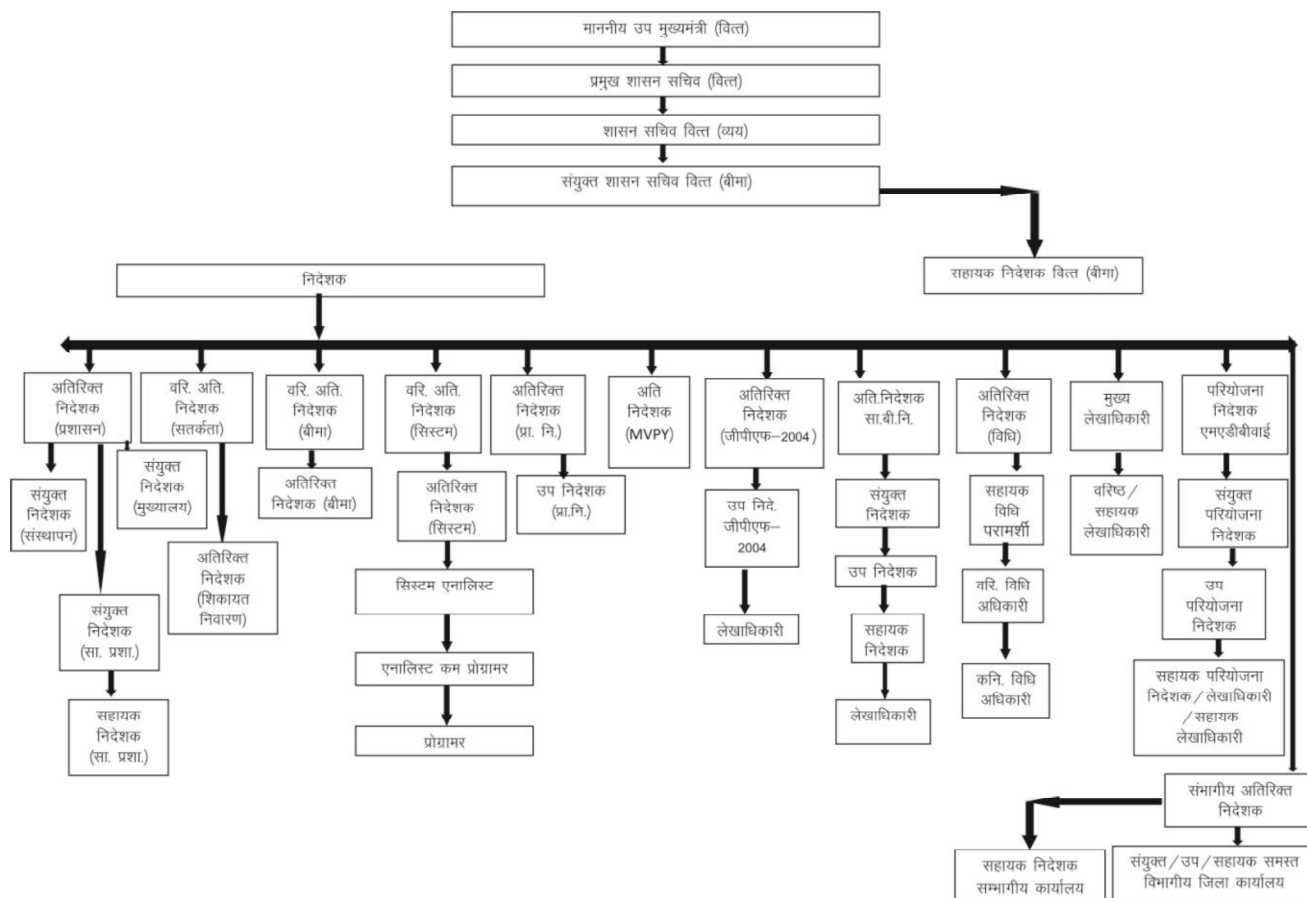
| क्र.सं. | पदनाम                     | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---------|---------------------------|---------|---------|-------|
| 1.      | निदेशक                    | 1       | 1       | 0     |
| 2.      | अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) | 1       | 1       | 0     |
| 3.      | वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक    | 5(4+1*) | 5(4+1*) | 0     |
| 4.      | अतिरिक्त निदेशक           | 22      | 18      | 4     |
| 5.      | मुख्य लेखाधिकारी          | 1       | 1       | 0     |
| 6.      | संयुक्त निदेशक            | 25      | 24      | 1     |
| 7.      | सिस्टम एनालिस्ट           | 1       | 1       | 0     |
| 8.      | उपनिदेशक                  | 30      | 16      | 14    |
| 9.      | एनालिस्ट कम प्रोग्रामर    | 2       | 1       | 1     |
| 10.     | वरिष्ठ लेखाधिकारी         | 1       | 0       | 1     |
| 11.     | सहायक विधि परामर्शी       | 1       | 1       | 0     |
| 12.     | वरि. निजी सचिव            | 1       | 1       | 0     |
| 13.     | निजी सचिव                 | 3       | 2       | 1     |
| 14.     | सहायक निदेशक              | 62      | 29      | 33    |
| 15.     | लेखाधिकारी                | 4       | 3       | 1     |
| 16.     | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।  | 19      | 18      | 1     |

| क्र.सं. | पदनाम                      | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|---------|----------------------------|---------|---------|-------|
| 17.     | संस्थापन अधिकारी           | 20      | 12      | 8     |
| 18.     | प्रशासनिक अधिकारी          | 61      | 2       | 59    |
| 19.     | प्रोग्रामर                 | 12      | 12      | 0     |
| 20.     | वरिष्ठ विधि अधिकारी        | 3       | 2       | 1     |
| 21.     | अतिरिक्त निजी सचिव         | 5       | 4       | 1     |
| 22.     | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 61      | 47      | 14    |
| 23.     | पर्यवेक्षक                 | 77      | 60      | 17    |
| 24.     | सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-॥   | 47      | 40      | 7     |
| 25.     | सहायक प्रशासनिक अधिकारी    | 261     | 224     | 37    |
| 26.     | कनिष्ठ लेखाकार             | 21      | 21      | 0     |
| 27.     | कनिष्ठ विधि अधिकारी        | 4       | 3       | 1     |
| 28.     | सहायक प्रोग्रामर           | 51      | 47      | 4     |
| 29.     | निजी सहायक प्रथम           | 7       | 1       | 6     |
| 30.     | निजी सहायक द्वितीय         | 12      | 6       | 6     |
| 31.     | वरिष्ठ सहायक               | 372     | 333     | 39    |
| 32.     | सूचना सहायक                | 147     | 131     | 16    |
| 33.     | कनिष्ठ सहायक               | 687     | 405     | 282   |
| 34.     | वाहनचालक                   | 2       | 0       | 2     |

| क्र.सं. | पदनाम                  | स्वीकृत     | कार्यरत     | रिक्त      |
|---------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 35.     | बाइण्डर                | 3           | 3           | 0          |
| 36.     | मशीनमैन                | 1           | 0           | 1          |
| 37.     | रेकार्ड लिफ्टर         | 9           | 4           | 5          |
| 38.     | जमादार                 | 10          | 6           | 4          |
| 39.     | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 213         | 57          | 156        |
|         | <b>योग</b>             | <b>2265</b> | <b>1540</b> | <b>725</b> |

\*वित्त (बीमा) विभाग के पत्र क्रमांक प.4(6) वित्त/राजस्व/2003 लूज-1 दिनांक 03.06.2021 द्वारा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा संख्या-244 के क्रम में आरजीएचएस योजना के क्रियान्वयन हेतु विशेषाधिकारी के पद की आवश्यकता को देखते हुए अतिरिक्त निदेशक (ग्रेड-पे-8700) के एक रिक्त पद को वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (ग्रेड-पे-9500 पे लेवल-23) के पद में 3 वर्ष अथवा डॉ. अंजली माथुर की प्रतिनियुक्ति अवधि तक, जो भी पहले हो तक क्रमोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की गई एवं शासन उप सचिव प्रथम उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश दिनांक 02.04.2025 के द्वारा उक्त प्रतिनियुक्ति अवधि में एक वर्ष की अभिवृद्धि की गई है।

## 12. संगठनात्मक ढाँचा



### 13. विशेष उपलब्धियां

नवीन योजनाएं/नीतियां/नवाचारों का विवरण-

- दिनांक 01.04.2025 को परिपक्व राज्य बीमा पॉलिसियों के प्राप्त दावों का शत प्रतिशत निस्तारण कर कुल राशि रुपये 2389.37 करोड़ का पेमेन्ट इनिशिएट किया गया है।
- राज्य बीमा/प्रावधायी निधि योजना के ऋण, आहरण एवं अंतिम भुगतान प्रार्थना-पत्रों का पेपरलेस पैटर्न से निस्तारण किया जा रहा है।
- राज्य कर्मचारियों की एण्डोमेन्ट बीमा पॉलिसियों पर वर्ष 2022-23 (31.03.2023) रुपये 85/-प्रति हजार प्रतिवर्ष की दर से बोनस घोषित करवाया गया। वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 की राज्य बीमा योजना की बैलेन्सशीट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई।
- दिनांक 01.04.2022 से राज्य बीमा की पॉलिसियां राज्य कर्मचारियों से प्रथम घोषणा पत्र आधार बेस्ड ओटीपी से एसआईपीएफ पोर्टल पर सबमिट करवाकर ऑटो जनरेटेड जारी की गई है।
- राज्य कर्मचारियों की जमा राशि, राज्य बीमा पॉलिसियों के परिपक्व होने तथा प्रार्थना-पत्रों के सबमिशन से लेकर डिस्पोजल तक की जानकारी एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। राज्य कर्मचारियों को देय भुगतान ऑटो प्रोसेस एवं ईसीएस के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में राशि जमा हो रही है।
- राजस्थान विधानसभा के समक्ष वर्ष 2024-25 के बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत व्यक्तव्य दिनांक 08.02.2024 केबिन्दु संख्या 47 (1) में उल्लेखित 'कार्मिकों को वेतन तथा जीपीएफ संबंधी सूचनाएं, विवरण Mobile App के माध्यम से Online उपलब्ध करवायी जायेगी' की अनुपालना में एसआईपीएफ मोबाईल एप विकसित कर Android and ios mobile operating systems पर उपलब्ध करवाई गई है।
- दिनांक 01.04.2025 से जीपीएफ-2004 योजना में भी जीपीएफ आहरण एवं राज्य बीमा ऋण की भांति एसआईपीएफ पोर्टल पर स्वचालित प्रक्रिया के तहत आहरण सुविधा राज्य कार्मिकों को उपलब्ध करवाई गई है।
- विभागीय चैटबॉट विकसित कर एसआईपीएफ मोबाईल एप के Android and iOS mobile operating systems तथा साथ ही एसआईपीएफ पोर्टल एवं विभागीय वेबसाइट पर भी राज्य कार्मिकों के उपयोग हेतु गो-लाइव किया जा चुका है। विकसित किये गये चैटबॉट के माध्यम से एसआईपीएफ मोबाईल ऐप, वेबसाइट एवं पोर्टल पर हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में राज्य कार्मिकों द्वारा उनके राज्य बीमा एवं जीपीएफ योजना के अन्तर्गत ऋण एवं आहरण की पात्रता, खातों में जमा राशि, मनोनीत व्यक्ति की जानकारी आसानी से तथा किसी भी समय प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 2025-26 में विभागीय चैटबॉट का व्हॉट्सएप से इंटीग्रेशन किया गया है।

- विभागीय जिला कार्यालयों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु एसआईपीएफ पोर्टल पर SIPF Performance Index यूटिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। एसआईपीएफ पोर्टल से निस्तारित एप्लीकेशन (यथा राज्य बीमा/साप्रानि/जीपीएफ-2004) से सम्बन्धित भारांक उक्त इंडेक्स में ऑटो फिल होंगे एवं जिन विभागीय योजनाओं का निष्पादन पोर्टल के माध्यम से नहीं होता है (यथा विधि/प्रशिक्षण/सतर्कता/एमएडीबीवाय/ लेखा आदि) उन्हें मेनूअल फिड किये जाने की सुविधा संभागीय अधिकारियों को तथा उनमें संशोधन की सुविधा सम्बन्धित योजना प्रभारी को उपलब्ध करवाई गई है।
- एसआईपीएफ पोर्टल पर वित्तीय सुरक्षा के मद्देनजर कड़े प्रावधान/वेलिडेशन प्रभावी किये गये हैं, जिनमें मुख्यतः जीपीएफ एवं बीमा खातों हेतु फ्रीज/अनफ्रीज प्रणाली लागू करना, पोस्ट ऑडिट व्यवस्था, एसआईपीएफ पोर्टल पर संव्यवहार के लॉग संधारण और आईपी एड्रेस ट्रैकिंग प्रणाली, ओटीपी और एसएमएस प्रमाणीकरण की व्यवस्था इत्यादि सम्मिलित हैं।

## 14. सार संक्षेप

समस्त राज्य कर्मचारियों एवं आमजन को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य बीमा योजना, प्रावधायी निधि योजना, साधारण बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्सपर्सन बीमा योजना आदि का संचालन विभाग के द्वारा समयबद्धता एवम् पारदर्शिता का पूर्ण ध्यान रखते हुये न्यूनतम प्रशासनिक लागत पर किया जा रहा है।

राज्य बीमा योजना एवं साधारण बीमा योजना का प्रशासनिक व्यय चार्ज्ड व्यय की श्रेणी में आता है। विभाग द्वारा नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुये दिनांक 15.08.2016 से राज्यकर्मियों को ऑन-लाईन सेवाएं उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार के ऋण/स्वत्व ऑनलाईन ही प्राप्त/निस्तारित किये जा रहे हैं। दिनांक 15.12.2020 से प्रावधायी निधि से आहरण एवं बीमा निधि से ऋण के प्रकरणों की पेपरलेस व्यवस्था लागू की गई है।

इस प्रकार सेवारत कार्मिकों के साथ-साथ मृतक अधिकारियों/कर्मचारियों के परिजनों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने एवम् सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए यह विभाग सदैव तत्पर, जागरूक एवम् कृतसंकल्प है।

सबका साथ, सबका विकास,  
सबका विश्वास, सबका प्रयास